राजस्व लोक अदालत

प्रशासन आपके द्वार–2018

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

केम्प पीपलवास

दिनांक 13–06–2018

प्रकरण संख्या–1964 / 2016

अनवान

1. भूरा पिता भुवाना जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील तहसील भदेसर

................प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. नारायण पिता जीतू जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर
2. शंकर पिता जीतू जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर
3. वरदीबाई पत्नि स्व. जीतू जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर
4. भेरू पिता उदयराम जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
6. सोसर बेवा उदयराम जाट जाट वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर
7. कालूराम पिता प्यारचन्द लुहार वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर

...........विपक्षीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित– जाहिद रजा वकील प्रार्थी

तहसीलदार भदेसर पैरोकार सरकार

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

कि प्रार्थी के नाम खाता संख्याा 155 में अंकित आराजी नम्बर 477 रकबा 1.05 हैक्टेयर ग्राम मुरलिया पटवार हल्का पिपलवास तहसील भदेसर में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने के लए ग्राम मुरलिया में स्थित आराजी नम्बर 481 रकबा 0.54 हैक्टेयर आराजी नम्बर 47[illegible] [illegible] विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम किराजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं आराजी [illegible] भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । प्रार्थी की [illegible] जाने के लिए राजस्व [illegible] के नक्शें में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

13.6.18

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला–चित्तौड़...

Scanned with CamScanner

रास्ता दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को अपने मवेशी व ट्रेक्टर फसल व कृषि औजार आदि लाने ले जाने मे परेशानियो का सामना करना पड रहा है प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजीयात के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण ने प्रार्थी को उनकी आराजीयात पर आने जाने के लिए मना कर दिया है जिससे प्रार्थी का कृषि कार्य करना कठिन हो गया है इसलिए विपक्षीगण की आराजीयात में से रास्ता कायम कराकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना न्यायहित में आवश्यक है प्रार्थी नियमानुसार वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते के जमीन की कीमत डीएलसी दर से विपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी कनांक 1 लगायत 4 की ओर से प्रार्थना पत्र मय काउन्टर के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित होना सही है किन्तु प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्त वर्णित आराजीयात में नहीं है । प्रार्थी एवं उसके पूर्वज आज तक कभी भी विवादित आराजीयात में नहीं निकले है क्यांकि उनके लिये उक्त प्रार्थी की अराजीयात पर आने जाने के लिये पूर्वजों से ही आराजी संख्या 475 में से होकर आ जा रहें है वर्तमान में भ्ज्ञी वही से अ जा रहें है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 475 पर रास्ता कायम नहीं है सिक नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी विपक्षीगण को बिना हक अधिकार के परेशान कर नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से धारा 251—क के तहत प्रार्थना पत्र अवैध तरीके से न्यायालय को मुगालते में रख कर विधि विरूद्व लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है जबकि प्रार्थी आराजी संख्या 475 में से ही आ जा रहें है । इसलिए पहले से रास्ता आ0न0 475 में होने से प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में अन्य रास्ता दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है ।

**काउन्टर प्रार्थना पत्र**

1. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र जो आप न्यायालय में पेश किया है वो निराधार होकर गलत तथ्यों पर पेश किया गया है क्योंकि प्रार्थी ने जिन आराजीयात में से रास्ता कायम करने के लिये क्लेम किया है उसके अलावा प्रार्थी की आराजीयात व क्लेम की गयी आराजीयात के मध्य में और भी आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसका प्रार्थी ... वाला अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना ... साथ ही प्रार्थी ने रास्ते सीधे अपने आराजी तक ... आराजीयात में से रास्ता करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

13.6.18
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

के लिये क्लेम नहीं करके काफी दूरियों पर स्थित विपक्षी की दर्ज रिकार्ड आराजीयात का हवाल दिया गया जिससे भी साबित है कि प्रार्थी मात्र विपक्षीगणों को परेशान करने के उद्देश्य से ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है विधि विरूद्ध है । ग्राम से जो रास्ता दर्ज रिकार्ड है उसके व प्रार्थी की आराजीयात के मध्यम मात्र एक ही आराजी 475 दर्ज रिकार्ड है जिस पर से होकर आराजी नम्बर 477 की आराजीयात के मालिक पूर्वजों से ही निकलते आ रहें है ऐसी स्थिति में उसी आराजीयात में से ही रास्ता प्राप्त करने के प्रार्थी अधिकारी है । प्रार्थी ने जिस आराजी संख्या 481 का अंकन किया वह प्रार्थी के आराजी से पूर्व दिशा में स्थित है एवं आराजी संख्या 479 प्रार्थी के आरजी के पूर्व दिशा से आगे और आराजी संख्या 482 उससे भी आगे स्थित है इस आराजीयात से प्रार्थी की आराजीयात के दूसरी साईड रह जाती है जिस कारण किसी रास्ते से विपक्षीगण की आराजीया में से रास्ता निकालने के लये मेल नहीं खाता है जिस कारण धारा 251–ए के आधार पर विपक्षी की आराजीया में से प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में कायम कराने का अधिकारी नहीं है जिस कारण विपक्षी प्रार्थी को पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है । विपक्षी की आराजी संख्या 481, 479, 482 में किसी प्रकार से नुकसान नही पहुचावें और अन्य तरीके से खुर्द बुर्द न करें न करावें ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे खारीज फरमाया जावे तथा विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि विपक्षी की आराजी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें न करावें ।

मौका एवं रिकार्ड की स्थिति को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट ली गई जिस पर नायब तहसीलदार भदसोडा द्वारा दिनांक 01.01.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई प्रस्तुत रिपोर्ट पर विपक्षी की और से आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मौक कमीशनरी रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार नहीं की की गई इसलिए पुनः मौका रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार कर मंगवाई जावे । आपत्ति पर पुनः कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्र संख्या 1128 दिनांक 15–01–2018 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मुरलिया की आराजी नम्बर 477 पर आवागमन हेतु आराजी नम्बर 481/1013 में से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 479 में होकर पहुंचा जा सकता है इसके अतिरिक्त आराजी तक पहुचने क और कोई वैकल्पि रास्ता उपलब्ध नहीं है तदनुसार आ0न0 477 पर पहुंचने हेतु पक्की सड़क से बिलानाम आराजी नम्बर 481/1013 में से 0.02 हैक्टेयर व विपक्षीगण ... शंकर पिता जीतू दरदीबाई पत्नि जीतू भेरू पिता उदेराम जाट निवासी मुरलिया की आराजी नम्बर 479 रकबा 0.38 में से दक्षिणी मेड पर 0.03 हैक्टेयर जिसे प्रस्तावित नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रास्ता के रूप दिया जाना उचित है । उक्त आराजीयात की प्रचलित बाजार दर से विपक्षीगण की आराजी 0.03 हैक्टेयर की कीमत 13950 रूप्ये एवं बिलानाम आराजी 0.02 हैक्टेयर की 90300 रूप्ये बनती है ।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पीपलवास पर प्रस्तुत हुई बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुंच मार्ग का अभाव होकर अन्य कोई रिकोंडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा प्रार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 477 पर पहुंच हेतु केवल विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 479 एवं बिलानाम आराजी नम्बर 481/1013 हैक्टेयर में से होकर जाना ही विकल्प बताया है ।

तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज. 6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं ।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए आम रास्ता गुरलिया से सूरपुर से प्रार्थी की आराजी नम्बर 477 तक पहुंच हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 481/1013 रकबा 0.27 हेक्टैयर एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 479 रकबा 0.38 हैक्टेयर स्थित है । बिलानाम आराजी नम्बर 481/1013 रकबा 0.27 [illegible] 0.02 हैक्टैयर एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 479 रकबा 0.38 हैक्टेयर स्थित [illegible] जिसकी दक्षिणी मेड़ पर 0.03 हैक्टैयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तावित की गई जिसकी डी0एल0सी0 दर से प्रस्तवित भूमि बिलानाम भूमि 0.02 हैक्टैयर के 4650 /- प्रति एयर से 2 एयर का दुगुना

13.6.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिकर 18600/– रू. एवं विपक्षीगण की खातेदारी आराजी में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि 0.03 हैक्टयर के 4650/– रूप्ये प्रति एयर से 27900/– रूप्ये कुल 46500/– रूप्ये कीमत बनती है जो प्रार्थी संदाय करने को तत्पर है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी का काउन्टर क्लेम साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम मुरलिया पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 477 रकबा 1.05 हैक्टेयर पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में बिलानाम आराजी नम्बर 481/1013 रकवा 0.27 हेक्टैयर में से 0.02 हैक्टैयर एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 479 रकवा 0.38 हैक्टेयर की दक्षीणी मेड पर 0.03 हैक्टैयर भूमि को तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
2. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 0–05 हैक्टैयर की कीमत राशि बिलानाम भूमि 0.02 हैक्टैयर के 4650 /– प्रति एयर से 2 एयर का दुगुना प्रतिकर 18600/– रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष मे जमा करवाये जायेगें तथा विपक्षी संख्यां 1 से 4 की खातेदारी आराजी में रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली 0.03 हैक्टैयर भूमि की कीमत 4650 /– प्रति एयर से 3 एयर का दुगुना प्रतिकर 27900/– रूप्ये विपक्षी संख्या 1 से 4 को संदाय की जावेगी उक्त प्रकार से कुल 46500/– रूप्ये क्षतिपूर्ति राशि का नियमानुसार विपक्षीगण को अदा कराई जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के स्वामित्व को लेकर वाद ,विवाद न्यायालय में दाखिल कराने का अधिकार नहीं होगा ।

निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कराया हेतु भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

13.6.18

(मांगीलाल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner